झारखंड सरकार
गृह विभाग

संकल्प

राँची दिनांक– 18 फरवरी 2008 ई0।

विशय –वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास हेतु नयी नीति/योजना की स्वीकृति के संबंध में।

विधि–व्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती वामपंथी उग्रवादियों की समस्या है। झारखंड राज्य के राँची, गुमला, खुँटी, सिमडेगा, लोहरदगा, पलामु, लातेहार, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसाँवा जिले इस समस्या से गंभीर रूप से आक्रान्त है। शेश जिलों में सभी वामपंथी उग्रवाद अपना पाँव पसार रहा है तथा वहाँ भी उग्रवादी घटनायें यदाकदा प्रतिवेदित होती रहती है। झारखंड राज्य के गठन के पश्चात् इस समस्या को चुनौती के रूप में लिया गया है, जिसमें विशेश सफलतायें मिली है। इससे उग्रवादियों का मनोबल गिरा है। प्राप्त सूचनाओं से यह आभास मिला है कि बहुत से लोग बहकावे में आकर अथवा गलत धारणाओं के अन्तर्गत वामपंथी उग्रवादियों के साथ मिल गये थे, जिन्हें अब अपनी गलती का अहसास हो रहा है तथा वे समाज की मुख्य–धारा में मिलने को आतुर है। ऐसे तत्वों को एवं उनके परिवार को मुख्य–धारा में वापस लाने के उद्देश्य से प्रत्यार्पण नीति का निर्धारण विभागीय संकल्प संख्या–932, दिनांक– 07.05.2001 एवं 3599, दिनांक– 22.12.2001 द्वारा किया गया, परन्तु उक्त प्रत्यार्पण नीति की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक पायी गई और अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। इस पृश्ठभूमि में इस योजना को और उत्साहवर्धक एवं आकर्शक बनाये जाने के लिए सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार पूर्व की नीति के स्थान पर नयी प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास योजना का निरूपण निम्नवत् करती है।

1. उद्देश्य–

वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास की योजना का उद्देश्य है कि (क) वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण को प्रोत्साहित किया जाए, एवं (ख) प्रत्यार्पण कर चुके उग्रवादियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाय।

2. परिभाशा–

वामपंथी उग्रवादियों का अर्थ है– ऐसे संगठनों के सदस्य, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा भारतीय अपराध (संशोधन) अधिनियम, 1908 की धारा 16 के अन्तर्गत अवैधानिक घोशित किया गया है।

3. योग्यता–

3.1 यह योजना केवल उन्हीं उग्रवादियों पर लागु होगी, जिन्हें उग्रवादी संगठन के दस्ते के सदस्य या उनके उपर के पदधारक के रूप में विशेश शाखा द्वारा पहचान की गयी हो।

3.2 प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादियों को संगठन के संबंध में सभी जानकारियों का खुलासा करने/संबंधित अपराधिक मामलों के संबंध में सभी तथ्य उपलब्ध कराने की स्थिति में ही उन्हें विशेश प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रोत्साहन की राशि सरकार द्वारा अनुमोदित पैकेज के अधीन होगी।

3.3 प्रत्यार्पण पूर्णरूपेण स्वैच्छिक तथा बिना किसी दबाव/उग्रवादी संगठन के प्रेरणा से होना आवश्यक है।

3.4 साधारणतः विशेश शाखा का प्रत्यार्पण संबंधी सभी पहलुओं का सत्यापन ही एकमात्र मानक होगा, किन्तु विशेश परिस्थितियों किसी भी प्रस्ताव का तथ्यों का सत्यापन सरकार अन्य स्रोतों से करा सकती है।

4. उग्रवादियों द्वारा प्रत्यार्पण मंत्री/सांसद/विधायक/प्रमण्डलीय आयुक्त/प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक/जिला दण्डाधिकारी/पुलिस अधीक्षक अथवा राज्य सरकार द्वारा मनोनित पदाधिकारियों के समझ किया जा सकता है। ये पदाधिकारी समर्पणकर्ता उग्रवादियों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई हेतु निकटवर्ती पुलिस स्टेशन या पुनर्वास कैम्प/केन्द्र को सुर्पुद करेंगे, जहाँ उनके पुर्नवास योजना का सूत्रण/कार्यान्वयन किया जाएगा।

5. स्क्रीनिंग समिति–

प्रत्येक उग्रवादी के प्रत्यार्पण को स्वीकार करने के संबंध में निर्णय एक स्क्रीनिंग समिति द्वारा लिया जाएगा। इस समिति के अध्यक्ष जिला पुलिस अधीक्षक होंगे एवं अन्य सदस्य के रूप में जिला दण्डाधिकारी तथा अपर पुलिस महानिदेशक विशेश शाखा द्वारा एक–एक पदाधिकारी मानोनित किये जायेंगे।

6. पुर्नवास समिति–

6.1 प्रत्येक जिला में प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए जिला दण्डाधिकारी के अध्यक्षता में जिला पुर्नवास समिति गठित होगी, जिसके सदस्य सचिव जिला पुलिस अधीक्षक होंगे तथा उप–विकास आयुक्त, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला अग्रणी बैंक पदाधिकारी एवं समादेश्टा, गृह रक्षा वाहिनी सदस्य होंगे। जिला पुर्नवास समिति द्वारा प्रत्येक प्रत्यार्पण कर चुके उग्रवादी के संबंध में निम्नांकित तथ्यों को ध्यान में रखकर पुर्नवास पैकेज तैयार किया जाएगा।

(क) उग्रवादी की सामाजिक–आर्थिक पृश्ठभूमि
(ख) उम्र
(ग) उसकी सामान्य शैक्षणिक एवं तकनीकि योग्यता।
(घ) पुर्ननिवासन हेतु उपलब्ध विकल्पों के संबंध में उसकी प्राथमिकता
(ड़) प्रस्तावित पुर्नवास पैकेज की सम्भाव्यता (Feasibility)

6.2 पुर्नवास पैकेज के सूत्रण के क्रम में पुनर्वास समिति द्वारा पेशेवर सहायता एन0जी0ओ0/परामर्शी से प्राप्त की जा सकती है।

6.3 जिला पुर्नवास समिति द्वारा सूत्रण किये गये प्रत्यार्पित उग्रवादीवार निर्दिश्ट पुर्नवास पैकेज को पुलिस महानिदेशक के माध्यम से राज्य सरकार के पास अनुसंशा के साथ भेजा जाएगा

7. पुर्नवास पैकेज– पुर्नवास पैकेज के अव्यव (Component) के रूप में नीचे अंकित सुविधाओं को सम्मिलित किया जाएगाः–

7.1 पुर्नवास अनुदान रू0–2,50,000/– (दो लाख पचास हजार) होगा, जिसमें से रू0 50,000/– (पचास हजार) का भुगतान तत्काल प्रत्यार्पण के उपरांत किया जाएगा तथा शेश रू0 2,00,000/– (दो लाख) का भुगतान दो बराबर किस्तों में होगा, जिसकी पहली किस्त एक वर्श बाद तथा दूसरी किस्त दो वर्श के बाद प्रत्यार्पित उग्रवादी की गतिविधियों की छानबीन विशेश शाखा द्वारा किये जाने के पश्चात् देय होगा।

7.2 कार्यशील एवं नियमित अग्नेयास्त्र (Regular), गोला–बारूद के समर्पण के बदले अतिरिक्त भुगतान निम्नरूपेण तालिका के अनुसार किया जाएगाः–

क्र0 सं0	आग्नेयास्त्र/विस्फोटकों का प्रकार	पुरस्कार से संबंधित राशि
1.	रॉकेट लांचर/एल0एम0जी0	Rs.1,00,000
2.	ए0के0 47/56/74 रायफल/स्नाइपर रायफल	Rs.75,000
3.	.303 रायफल/पिस्टल/रिवाल्वर	Rs.15,000
4.	रिमोट कंट्रोल डिवाईसेस	Rs.6,000
5.	ग्रेनेड/हैण्ड ग्रेनेड	Rs.2,000
6.	वायरलेस सेट	Rs.2,000 से Rs.10,000 (रेंज के आधार पर)
7.	आई0ई0डी0	Rs.6,000
8.	विस्फोटक सामग्री (प्रति कि0ग्रा0)	Rs.2,000

7.3 पुनर्वास समिति द्वारा रू0 3,000/– प्रतिमाह की वृति पर एक वर्श तक के व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। विशेश परिस्थिति में व्यावसायिक प्रशिक्षण की अवधि एक अतिरिक्त वर्श तक के लिए विस्तारित की जा सकेगी।

7.4 अधिकतम चार डिसमील जमीन गृह निर्माण हेतु आवंटित किया जाएगा।

7.5 प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादी को एक आवास निर्माण हेतु अधिकतम रू0 50,000/– (पचास हजार) की राशि दी जायेगी।

7.6 राज्यान्तर्गत सरकारी चिकित्सा संस्थानों में उग्रवादी एवं उसके परिवार की निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की जायेगी।

7.7 सरकारी विद्यालयों में उग्रवादी स्वयं एवं उसके पुत्र तथा पुत्रियों को मैट्रिक तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।

7.8 मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत महिला उग्रवादी एवं उग्रवादियों की पुत्रियों के वैवाहिक कार्यक्रम हेतु अनुदान राशि दिया जायेगा।

7.9 यदि प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादी के सिर पर उसके मारे जाने या गिरफ्तार होने पर कोई सरकारी इनाम घोशित हो, तो समर्पण के उपरांत घोशित इनाम की राशि उन्हें ही प्रदान कर दी जायेगी। संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों के समर्पण करने पर घोशित इनाम की राशि परिशिश्ट–1 के अनुरूप भुगतान किया जायेगा।

7.10 समर्पण के उपरांत यदि समर्पणकर्त्ता को उग्रवादियों द्वारा मारा जाता है तो उसके परिवार को सरकारी संकल्प सं0 423, दिनांक 16.02.06 तथा 369 दिनांक 24.01.08 के आलोक में लाभों का भुगतान किया जायेगा, तथा– रू0 1,00,000/– (एक लाख) का अनुदान एवं उसके एक सुयोग्य आश्रित को सरकारी नौकरी दी जायेगी, भले ही मृतक का प्रत्यार्पण के पूर्व आपराधिक इतिहास रहा हो।

7.11 राश्ट्रीय/सहकारी बैंक से स्वनियोजन हेतु रू0 2,00,000/– (दो लाख) तक के लिए ऋण प्राप्ति में सहायता देगी। ऋण से प्राप्त राशि पर देय ब्याज के विरूद्ध सरकार 50% की सीमा तक (अधिकतम रू0 50,000 {पचास हजार}) की राशि प्रतिपूर्ति करेगी।

<u>अथवा</u>

शारीरिक मापदण्डों को पूरा करने वाले प्रत्यार्पित उग्रवादियों को पुलिस/गृह रक्षक/विशेश पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है। महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक को विशेश परिस्थितियों में निर्धारित शारीरिक मापदण्ड को शिथिल करने की शक्ति होगी।

7.12 राज्य सरकार द्वारा प्रत्यार्पित उग्रवादी को रू0 5,00,000/– (पाँच लाख) की जीवन बीमा करायी जाएगी एवं इसके लिये आवश्यक प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा।

7.13 प्रत्यार्पित उग्रवादी के आश्रितों के लिए भी (परिवार के अधिकतम पाँच सदस्यों के लिए) रू0 1,00,000/– (एक लाख) की समूह जीवन बीमा भी करायी जाएगी।

7.14 प्रत्यार्पित उग्रवादी की संपत्ति को उग्रवादियों द्वारा क्षतिग्रस्त किये जाने की स्थिति में क्षति का आंकलन पुनर्वास समिति द्वारा कर क्षतिपूर्ति की जायेगी।

8. पुनर्वास पैकेज को अंतिम रूप से गृह विभाग, झारखंड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

9. यदि प्रत्यार्पणकर्त्ता कालांतर में पुनः उग्रवादी गतिविधि में संलिप्त हो जाता है तो पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत भुगतेय सभी लाभ राज्य सरकार या बैंक (यदि ऋण का भुगतान नहीं किया गया हो) द्वारा स्वतः जप्त कर लिया जायेगा। यदि परोक्ष रूप से भी वे उग्रवादी गतिविधि में संलिप्त पाये जाते है, तो सभी लाभ जप्त हो जायेंगा। परोक्ष रूप से उग्रवादी गतिविधि में संलिप्त होने या नहीं होने के बिन्दु पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार के स्तर से होगा।

10. <u>न्यायालय संबंधी मामले</u> :–

10.1 प्रत्यार्पित उग्रवादी के विरूद्ध लंबित जघन्य आपराधिक मामलों को विधि के अनुसार निश्पादित किया जायेगा। अन्य अपराधों के लिए समर्पणकर्त्ता को प्ली बारगेनिंग (Plea Bargaining) का विकल्प रहेगा।

10.2 प्रत्यार्पित उग्रवादी को अपना मुकदमा लड़ने के लिए सरकार की ओर से निःशुल्क वकील की व्यवस्था की जाएगी।

10.3 न्यायिक प्रावधान के तहत आवश्यक शर्त पूरा करने की स्थिति में सरकार द्वारा राजसाक्षी (Approver) बनाने/महिला एवं नाबालिग होने की स्थिति में प्रचलित विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

10.4 प्रत्यार्पित उग्रवादी के विरूद्ध लंबित मुकदमा का शीघ्रातिशीघ्र निश्पादन हेतु विशेश न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट) गठित कराया जायेगा।

10.5 प्रत्यार्पित उग्रवादी द्वारा उग्रवादी गतिविधि में सम्मिलित होने के पीछे लंबित भू–विवाद का कारण होने की स्थिति में संबंधित भूमि विवाद मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध न्यायालयों से कराया जायेगा।

11. उपरोक्त कंडिका 7.2 के अनुसार समर्पण किये गये सक्रिय हथियारों, गोला–बारूद, विस्फोटक सामग्री आदि एवं कंडिका 7.9 के अनुसार संबंधित उग्रवादी के सिर पर घोशित सरकारी इनामों को छोड़कर समर्पणकर्त्ता यदि पति एवं पत्नी दोनों हों, तो पुनर्वास पैकेज के अन्तर्गत उन्हें एक यूनिट ही माना जाएगा।
12. राज्य सरकार प्रत्येक वर्श इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी तथा आवश्यकतानुसार संशोधन करेगी।
13. राज्य सरकार में आवश्यकता अनुरूप विशेश परिस्थितियों में उपर्युक्त प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति निहित रहेगी।

परिशिष्ट–1
(कंडिका 7.9)

क्रमांक	श्रेणी	संगठन में स्थान	पुरस्कार की राशि
1.	ए.	पेलित ब्यूरो सदस्य/केन्द्रीय कमेटी सदस्य/केन्द्रीय सैन्य आयोग सदस्य	रू012,00,000/– (बारह लाख)
2.	बी.	ऑल्टरनेट केन्द्रीय कमेटी	रू0 10,00,000/–(दस लाख)
3.	सी.	रिजनल ब्यूरो सदस्य/स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य/राज्य कमेटी सदस्य	रू0 10,00,000/–(दस लाख)
4.	डी.	ऑल्टरनेट स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य/राज्य कमेटी सदस्य	रू0 8,00,000/– (आठ लाख)
5.	ई.	रिजनल कमेटी सदस्य	रू0 7,00,000/– (सात लाख)
6.	एफ.	जोनल कमेटी सदस्य	रू0 5,00,000/– (पाँच लाख)
7.	जी.	सब जोनल कमेटी सदस्य	रू0 3,00,000/– (तीन लाख)
8.	एच.	एरिया कमांडर/एल0ओ0सी0 सदस्य	रू0 2,00,000/– (दो लाख)
9.	आई.	एल0जी0एस0 दस्ता कमाण्डर	रू0 1,00,000/– (एक लाख)
10.	जे.	एल0जी0एस0 दस्ता सदस्य	रू0 30,000/– (तीस हजार)

आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड गजट में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(जे0बी0 तुबिद)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–12 विविध (31)–20/2008–.....694.../राँची, दिनांक 18 फरवरी, 2009 ई0।
प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु प्रेशित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–12 विविध (31)–20/2008–694/राँची, दिनांक 18 फरवरी, 2009 ई0।

प्रतिलिपि :– महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखंड/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक/सभी उपायुक्त/सभी जिला पुलिस अधीक्षक (वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची सहित), झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–12 विविध (31)–20/2008– 694/राँची, दिनांक 18 फरवरी, 2009 ई0।

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड राँची/सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/सचिव, वित विभाग/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेशित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–12 विविध (31)–20/2008–694/राँची, दिनांक 18 फरवरी, 2009 ई0।

प्रतिलिपिः– सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं प्रचार–प्रसार हेतु प्रेशित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–12 विविध (31)–20/2008–694/राँची, दिनांक 18 फरवरी, 2009 ई0।

प्रतिलिपिः– महामहिम राज्यपाल के सभी सलाहकार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव, झारखंड, राँची को सूचनार्थ प्रेशित।

ह0/–
सरकार के सचिव।